ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड हरोली , जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री परमजीत सिंह	1-04-2015 से 21-01-2016 तक
2	श्रीमती मधु बाला	22-01-2016 से 31-03-18 तक

सचिव:-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	1-04-2015 से 20-02-2016 तक
2	श्रीमती मधु किरण	21-02-2016 से 31-03-18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सलोह के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.08
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	36.98
3	7	औपचारिकताओं को पूर्णकिए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	4.13
4	8	बिना उचित बिलों के निर्माण सामग्री का क्रय	2.37

		करना	
5	9	क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टीयाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	20.82
6	11	सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय हिम उर्जा से न करने के कारण अधिक भुगतान	0.64
7	12	इंटरलॉकिंग पेवर्स की खरीद में अधिक भुगतान	0.51
8	13	कुओं से पानी की निकासी हेतु अनियमित भुगतान	0.33

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 28-07-2018 से 1-08-2018 तक ग्राम पंचायत सलोह में किया गया l लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है l

आय:- 2/16, 3/17 व 8/17

व्यय:- 8/15, 2/17 व 9/17

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया हैl पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा l

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या–193 दिनांक 28-07-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सलोह से अनुरोध किया गया l जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत सलोह द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी०

सी० बी० हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या 292944 दिनांक 30-07-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है l

4 (क) वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सलोह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है I

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1178017.8	4041291	60173	5279481.8	3763950	1515531.8
2016-17	1515531.8	9892850	137668	11546049.8	7229430	4316619.8
2017-18	4316619.8	11511651	179278	16007548.8	11617339	4390209.8

(i) स्वयं स्त्रोत्र:-

ग्राम पंचायत सलोह द्वारा **परिशिष्ट –क-1** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	193524	50481	54775	298780	49081	249699
2016-17	249699	70754	127311	447764	21589	426175
2017-18	426175	227539	139090	792804	100107	692697

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट - क- 2** पर भी दिया गया हैl

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	781928	3197833		3979761	2921401	1058360
2016-17	1058360	6989578		8047938	4818031	3229907
2017-18	3229907	5335466		8565373	7654722	910651

(iii) स्वच्छ भारत मिशन :-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के स्वच्छ भारत मिशन की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क - 3** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	309760	2071	311831	0	311831
2017-18	311831	443805	14951	770587	324888	445699

(iv) आई० ए० वाई० :-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क – 4** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	89555	157500	3227	250282	142500	107782
2016-17	107782	410000	4281	522063	277052	245011
2017-18	245011	895000	7120	1147131	1006500	140631

(v) चौदहवें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के चौदहवें वित्तायोग की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क- 5** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	2345098	16037	2361135	266379	2094756

(vi) आई० डब्लयू० एम० पी०:-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू० एम० पी०की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क- 6** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	15811.8	0	232	16043.8	15491	552.8
2016-17	552.8	0	0	552.8	0	552.8
2017-18	552.8	0	0	552.8	0	552.8

(vii) आई० डब्लयू० एम० पी०अंशदान:-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू० एम० पी० अंशदान की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क- 7** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	97199	0	1939	99138	0	99138
2016-17	99138	0	4005	103143	0	103143
2017-18	103143	0	2080	105223	0	105223

(viii) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत सलोह के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट –क – 8** पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	635477	0	635477	635477	0
2016-17	0	2112758	0	2112758	2112758	0
2017-18	0	2264743	0	2264743	2264743	0

अन्त शेष का विवरण:-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2018 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है l

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	बैंक में जमा शेष राशि	अन्तर
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048032063	1603348	1051153	388 (हस्तगत रोकड़)
		के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20013012605		551807	
2	स्वच्छ भारत मिशन	पी.एन.बी. बढ़ेडा	1727000104096290	445699	445699	
3	आई .ए.बाई.	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048032256	140631	140631	
4	चौदहवाँ वित्तायोग	पी.एन.बी. बढ़ेडा	9319000100004600	2094756	2094756	
5	आई० डब्लयू० एम० पी० –V	पी.एन.बी. सलोह	1727000104018040	552.80	0	552.80 (हस्तगत रोकड़)
6	आई० डब्लयू० एम० पी० अंशदान	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048033340	105223	105223	
7	मनरेगा	पी.एन.बी. सलोह	1727000104018040	0	0	
			योग	**4390209.8**	**4389269**	**940.80**

(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था I परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है I लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक हैI लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है I अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए I

(ग) रोकड़ का नियमानुसार रख रखाव न करना:-

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष दैनिक आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में भी आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है l अतः रोकड़ बहियों में दैनिक,मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष ,आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य में रोकड़ बहियों में दैनिक,मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए l

(ड.) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेन-देन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग–अलग सात रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है I अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर सात रोकड़ बहियों का रख रखाब करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए नियमानुसार एक ही रोकड़ बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए I

(छ) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार तैयार करते हुए आय तथा व्यय को दो भागों में बनाया जायगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी I इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सका I अतः बर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए I

5 पंचायत राजस्व ₹1.08 लाख वसूली हेतु शेषः-

(i) सचिव ग्राम पंचायत सलोह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-201 8 तक पंचायत राजस्व ₹107900 वसूली हेतु शेष था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – ख** पर भी दिया गया है l

(1) गृहकरः-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	45000	46000	91000	0	91000
2016-17	91000	47000	138000	0	138000
2017-18	138000	59000	197000	129000	68000

(2) मोबाईल टावरः-

एयरटेल

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	4000	4000	4000	0
2016-17	0	2000	2000	0	2000
2017-18	2000	2000	4000	2000	2000

(3) दुकान किरायाः-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	27950	25700	53650	17900	35750
2016-17	35750	13200	48950	14400	34550
2017-18	34550	46900	81450	43550	37900

क्रम संख्या(क), (ख) व (ग) का कुल योग (68000+2000+37900) = ₹107900

उपरोक्त क्रम संख्या (क), (ख) व (ग) पर उल्लेखित बकाया ₹107900 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 202 दिनांक 31-07-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सलोह के ध्यानार्थ लाया गया I लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर, मोबाईल टावर फीस व दूकान किराये के रूप में बकाया पंचायत राजस्व ₹107900 की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था l पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया l अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

6 अनुदान ₹36.98 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट- क – व डी–1** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹3697512 (4390209-692697) उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा l अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाए l

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.13 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं l व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-ग** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹413351 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है l उक्त सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बगैर करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 199 दिनांक 31-07-18 को सचिव ग्राम पंचायत सलोह के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त

करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

8 बिना उचित बिलों के ₹2 . 37 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट- घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹236942 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है l अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिकर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए l

9 ₹20.82 लाख के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-ड.** पर दिए गए विवरणानुसार ₹2082279 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है I स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता हैI स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 199 दिनांक 31-07-18 को सचिव ग्राम पंचायत सलोह के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय किए गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टीयाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए

10 निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण सामग्री का उपयोग न करने के कारण निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य करवाना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि चौदहवाँ वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलोह को C/o Rasta uptoAtma Ram हेतु ₹120000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या –9326 पेज संख्या 6 से 8 पर दज है I माप पुस्तिका की

जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में providing and laying cement concrete in 1:2:4 व 1:5:10 की मात्रा क्रमशः 7.05 घन मीटर व 5.98 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 61बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 45 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 16 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया है I उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195 दिनांक 31-07-18 को सचिव ग्राम पंचायत सलोह के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निष्पादित कार्य को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाएI

11 सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय हिम उर्जा से न करने के कारण ₹0.64 लाख का अधिक भुगतान:-

जाँच के दौरान पाया गया कि सोलर स्ट्रीट लाइटो के क्रय करने पर निम्न विवरणानुसार विनसेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर ब्रांच ऑफिस गगरेट (हि० प्र०) व पी० पी० ट्रेडर्स नादौन को ₹278600 का भुगतान किया गया है I

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	114 / 16-11-15	सोलर स्ट्रीट लाइट	9	19900	179100
2	20 / 12-05-16	सोलर स्ट्रीट लाइट	5	19900	99500
				योग	**₹278600**

उपरोक्त उल्लेखित सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करके विनसेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर ब्रांच ऑफिस गगरेट हि० प्र०) व पी० पी० ट्रेडर्स नादौन से किया गया है l तदोपरान्त सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से वाउचर संख्या 163 दिनांक 8-02-17 के अन्तर्गत 58 सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय प्रति सोलर लाइट से ₹15356 की दर से किया गया है I फलस्वरूप पूर्ब में उल्लेखित 14 सोलर स्ट्रीट लाइटो को सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करने का कारण ग्राम पंचायत द्वारा ₹4544 (19900-15356) प्रति सोलर स्ट्रीट

लाइट की दर से 14 सोलर स्ट्रीट लाइटो पर ₹63616 (4544x14) का अधिक भुगतान किया गया है I उक्त 14 सोलर स्ट्रीट लाइटो पर ₹63616 का अपव्यय करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 196 दिनांक 31-07-18 को सचिव ग्राम पंचायत सलोह के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गया I अतः उपरोक्त उल्लेखित 14 सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

12 इंटरलॉकिंग पेवर्स की खरीद में ₹0.51 लाख का अधिक एवं गलत भुगतानः-

जाँच के दौरान पाया गया की विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत इंटरलॉकिंग पेवर्स को क्रय करने पर ओजस ब्लॉक्स एंड फ्ल्यश, बड़ूही को निम्न विवरणानुसार ₹457400 का भुगतान किया गया है I

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	73 / 2-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	3500	12.50	43750
		किराया	3500	1.5	5250
				योग	**49000**
2	74 / 2-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	3500	12.50	43750
		किराया	3500	1.5	5250
				योग	**49000**
3	75 / 2-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	3500	12.50	43750
		किराया	3500	1.5	5250
				योग	**49000**
4	76 / 2-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	3500	12.50	43750
		किराया	3500	1.5	5250
				योग	**49000**
5	77 / 2-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	3500	12.50	43750
		किराया	3500	1.5	5250
				योग	**49000**
6	78 / 2-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	1500	12.50	18750
		किराया	1500	1.5	2250
				योग	**21000**
7	85 / 16-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 60 mm	4200	10.50	44100
		किराया	4200	1.5	6300
				योग	**50400**
8	86 /	इंटरलॉकिंग पेवर्स 60 mm	1200	10.50	12600

	16-06-17	किराया	1200	1.5	1800
				योग	**14400**
9	87,88 / 16-06-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 60 mm	3000	10.50	31500
		किराया	3000	1.5	4500
				योग	**36000**
10	151 / 2-08-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	3000	12.50	37500
		किराया	3000	1.5	4500
				योग	**42000**
11	152 / 2-08-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 80 mm	1500	12.50	18750
		किराया	1500	1.5	2250
				योग	**21000**
12	154 / 2-08-17	इंटरलॉकिंग पेवर्स 60 mm	2300	10.50	24150
		किराया	2300	1.5	3450
				योग	**27600**
क्रम संख्या 1 से 12 तक का कुल योग =					**457400**
क्रम संख्या 1 से 12 तक किराया के रूप में किया गया कुल भुगतान=					**51300**

उक्त इंटरलॉकिंग पेवर्स का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया है अभिलेख में तीन निविदाएँ सलंग्न की गई है, निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि सबसे न्यूनतम दर भरने वाली फर्म ओजस ब्लॉक्स एंड फ्ल्यश बडूही द्वारा किराये की शर्त नहीं भरी गई थी I फलस्वरूप उक्त फर्म से 34200 इंटरलॉकिंग पेवर्सक्रय करने पर 1.5 प्रति पेवर्स की दर से ₹51300 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है I उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 197 दिनांक 31-07-18 को सचिव ग्राम पंचायत सलोह के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गया I अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म / अधिक एवं गलत भुगतान करने हेतु उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की सुनिश्चित की जाएI अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

13 कुओं से पानी की निकासी हेतु₹0.33 लाख का अनियमित व्यय:-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार श्री दलेर सिंह सुपुत्र श्री कांशी राम गांव दौलतपुर, डा० खड्ड जिला ऊना को कूओं से पानी की निकासी हेतु ₹33300 का भुगतान किया गया है जोकि पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस व्यय की भरपाई सम्बंधित से की जाए I

क्रम	वाउचर	दिनांक	कूएँ का विवरण	अवधि	कार्य घंटों	दर	भुगतान

संख्या	संख्या				की संख्या	(प्रति घंटा)	की गई राशि
1	12	10-04-17	कुआँ नजदीक प्रारम्भिक विद्यालय	26-03-2017 से 6-04-2017	54	300	16200
2	13	10-04-17	कुआँ नजदीक गो-सदन	13-03-17 से 23-03-2017	57	300	17100
						कुल योग	**₹33300**

14 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप – 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक हैI परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रोकड़ बही में विभिन्न संस्थाओं / विभागों से अनुदान ₹2057185 प्राप्त की गई दर्शाई गई है, लेकिन उक्त प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित रसीदें जारी नहीं की गई है I

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पेज संख्या	विभाग/संस्था का नाम	राशि	उद्देश्य
1	21-04-15	2	डी० पी० ओ० ऊना	60439	तेहरवां वित्तायोग
2	3-03-16	35	डी० पी० ओ० ऊना	12600	मानदेय पंचायत पदाधिकारी
3	3-03-16	35	डी० पी० ओ० ऊना	5550	वेतन चौकीदार
4	3-03-16	35	डी० पी० ओ० ऊना	840	चौकीदार वर्दी भत्ता
5	14-04-16	42	बी० डी० ओ० हरोली	5000	निर्माण नाला अरविन्द से रजनीश
6	2-07-16	62	बी० डी० ओ० हरोली	50000	निर्माण रास्ता कुलदीप के घर से भगत के घर तक
7	5-07-16	63	डी० पी० ओ० ऊना	62598	चौदहवाँ वित्तायोग

8	5-07-16	63	डी० पी० ओ० ऊना	5550	वेतन चौकीदार
9	5-07-16	63	डी० पी० ओ० ऊना	22500	मानदेय पंचायत पदाधिकारी
10	14-07-16	65	डी० पी० ओ० ऊना	6150	वेतन चौकीदार
11	14-07-16	65	बी० डी० ओ० हरोली	1500000	खाता अनुदान निर्माण पंचायत घर
12	13-06-17	59	डी० पी० ओ० ऊना	6600	वेतन चौकीदार
14	30-10-17	8	डी० पी० ओ० ऊना	500	वेतन चौकीदार
	स्वच्छ भारत मिशन				
14	23-03-17	2	बी० डी० ओ० हरोली	150000	नालियां नजदीक H/O गन्धर्व सिंह
15	14-06-17	7	बी० डी० ओ० हरोली	18858	नालियां नजदीक H/O गन्धर्व सिंह
16	18-09-17	13	बी० डी० ओ० हरोली	150000	सामुदायिक शौचालय नजदीक बाबा भरथडी
			योग	**₹2057185**	

अतः उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित रसीदें जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

15 मजदूरी के रूप में ₹349 का अधिक भुगतान :-

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा रोकड़ बही से माह 2/17 के दौरान "तालाब की मुरम्मत बेलु वार्ड नंबर - 2" कार्य हेतु मस्टररोल संख्या 3304 के क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित श्री सरवन सिंह की 8 हाजिरी दर्ज हैं I जबकि 8 हाजिरी की जगह 9 हाजिरी दर्शाकर ₹170 प्रतिदिन की दर से ₹1530 का भुगतान किया है I फलस्वरूप एक दिन का अधिक भुगतान दर्शाकर ₹170 का अधिक भुगतान किया गया है I अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ख) जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा रोकड़ बही से माह 9/17 के दौरान "भूमि सुधार गुलजारी लाल सुपुत्र श्री नन्द लाल" कार्य हेतु मस्टररोल संख्या 1383 पर उल्लेखित श्रीमती बबली देवी की 10 हाजिरी दर्ज हैं I जबकि 10 हाजिरी की जगह 11 हाजिरी दर्शाकर ₹179 प्रतिदिन की दर से ₹1969 का भुगतान किया है I फलस्वरूप एक दिन का अधिक भुगतान दर्शाकर ₹179 का अधिक भुगतान किया गया है I अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

16 रोकड़ बही में गलत गणना के कारण ₹1051 का दुर्विनियोजन/गबन:-

जाँच के दौरान पाया गया कि सभा निधि से निम्नविवरणानुसार ₹1051 का दुर्विनियोजन/गबन किया गया है I

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पेज संख्या	आरंभिक रोकड़ शेष	आय	योग	वास्तविक व्यय	अन्तिम शेष	दर्शाया गया अन्तिम शेष	दुरुपयोग की गई राशि
1	7-08-15	10 व 11	806	362121	362927	361430	1497	806	691
2	7-11-15	21	806	281578	282384	281218	1166	806	360
								योग	**₹1051**

अतः उपरोक्त उल्लेखित दुर्विनियोजन/गबन की गई ₹1051 की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

17 दुकानों को किराये पर न देने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक ग्राम पंचायत सलोह की 10 दुकानें हैं, जिनमें से 8 दुकानें किराये पर दी गई हैं व 2 दुकानें खाली हैं I खाली दुकानों को किराये पर न देने के कारण ग्राम पंचायत को प्रति माह हजारों रुपयों की हानि हो रही है I अतः 2 दुकानों को किराये पर न देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त

खाली दुकानों को पूर्ण औपचारिकताओं पूर्ण करने उपरान्त शीघ्र अति शीघ्र किराये पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए I कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

18 दुकानों को किराये पर देने से पूर्व निर्धारित/ आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न करने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक ग्राम पंचायत सलोह द्वारा 8 दुकानें को मासिक किराये पर दिया गया है I लेकिन दुकानों को किराये पर देने से पूर्व निर्धारित/ आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है I जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैI

(i) ग्राम पंचायत द्वारा दुकानों को नीलामी/ खुली बोली द्वारा बिना किसी प्रचार एवं प्रसार से किराये पर दिया गया है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नीलामी/खुली बोलीद्वारा विस्तृत प्रचार एवं प्रसार से दुकानों को किराये पर दिया किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके I

(ii) बोली से पूरब किसी भी दुकानदार से धरोहर राशि प्राप्त नही की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सभी बोलीदाताओं से धरोहर राशि प्राप्त जानी सुनिश्चित की जाए I

(iii) दुकानदारों से किराये का कोई अनुबंध नहीं किया गया है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में दुकानदारों से अनुबंध किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

(iv) सफल वोलीदाता से प्रतिभूति राशि प्राप्त नहीं की गई है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सफल वोलीदाता से नियमानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाएI

(v) दुकानों के किराये का निर्धारण हि० प्र० लोक निर्माण विभाग से नहीं करबाया गया है I जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी दुकानों के किराये का निर्धारण हि० प्र० लोक निर्माण विभाग से करवाने उपरान्त सभी दुकानदारों से उक्त दरों पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाएI

19 निर्माण सामग्री का क्रय निर्धारित माप दण्ड के अनुसार न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच – एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी

निर्धारित घन फुट (cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सलोह द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया है जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बाजरा, बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली/ फुट के रूप में मापन असम्भव हैI अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए I अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

20 स्त्रोत पर आय कर की कटौती न करना:-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए रु० 30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई हैl अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें ब भविष्य में बिहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाएl

21 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगाI परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है I अतःइस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाएI

22 नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सकेI परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान सावधि जमा में कोई निवेश नहीं किया गया थाI जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध थाI नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा हैI इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित हैI अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए I

23 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगीl

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिवl

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सलोह द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया थाl जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है l अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में स्टोर के क्रय के लिए नियमानुसार उप समिति का गठन किया जाए l

24 निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सकेl सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थीl

(i) सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्धित वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्धित क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलोह द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना हैl अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएंl कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाएl

25 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य थाl अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक हैl अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

26 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत वांछित अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य हैl

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत सलोह द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया l अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

27 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित थाl परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था I इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है I इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाएl

28 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला

पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे I परन्तु ग्राम पंचायत सलोह द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है I अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

29 दुकान किराया रजिस्टर का रख रखाव न करना:-

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दुकान किराया रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है I अतः दुकान किराया रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकान किराया रजिस्टर तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

30 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित हैl परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

31 लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई हैl

32 निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायतीराज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी हैl

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 41/2018 खण्ड–1–8003–8006 दिनांक 29.11.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई

करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881